न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 24 / 2013

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनिया
RAS

1 भतेरी देवी पत्नी श्योनारायण।
2 राजेश पुत्र श्योनारायण।
3 सुरेन्द्र पुत्र श्योनारायण समस्त जाति जाट निवासीगण मौरवा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सूरजाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी मोरवा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ़।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील बानाराजगी आदेश दिनांक 12.09.2012 जिसकी रूह से विभाजन प्रस्ताव मंजूर किया गया व आदेश दिनांक 12.06.2012 जिसकी रूह से सनद तकसीम जारी की गई है पास करदा श्री नारायण सिंह उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बिलकुल गलत खिलाफ कानून खिलाफ जाब्ता, खिलाफ वाकयात निराधार है बाबत मंजूर किये जाने अपील व मनसुख किये जाने आदेश उपरोक्त व किये जाने तकसीम मुताबिक मन्जूर शुद्वा तरीका तकसीम

उपस्थित

1. श्री भंवरसिंह परमार अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप महला अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–30.10.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा वाद संख्या 273/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय वादी अपीलांट ने वाके ग्राम मोरवा तहसील चिडावा की भूमि खसरा नम्बर 3,4, 92,140,141,142 के सन्दर्भ में घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.01.2012 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की एवं दिनांक 12.09.2012 को अन्तिम डिक्री जारी की। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया का पालन किये बिना, जवाब दावा प्राप्त किये बिना, उभयपक्ष के साक्ष्य लिये बिना, वाद की दादरसी का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री पारित की है। जो विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुन सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने सहमती के आधार पर प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी की है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त किये बिना, उभयपक्ष के कथनों के आधार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

पर तनकीयात कायम किये बिना साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र विभाजन की डिक्री पारित की है। घोषणा के सन्दर्भ में कोई विवेचन नही किया है कोई आदेश पारित नही किया है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधिक प्रक्रिया के विपरित मनमाना एवं अपूर्ण पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनकर विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्रकरण में बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/X/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर